

22/07
24

वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील
संघ भी उपस्थित नहीं। इन्की अनुपस्थिति
कारण कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-
बार आवाज लगाई गई। अतः यह वाद
फिर अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया
जाता है।

पनावली निर्णय में शुमार की जाकर गम्भीर
से काम हो तथा हरील एकमिल होकर
कारिबल बफर हो।